

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(3)नविवि/II/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक:


आदेश

9 NOV 2022

इस विभाग के आदेश क्रमांक: प. 4(16)नविवि/II/2022 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा क्रम संख्या 07 पर अंकित श्री बृजेश कुमार गर्ग, अधिशाषी अभियन्ता का पदोन्नति उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से नगर विकास न्यास, पाली में किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन को निरस्त कर इनका पदस्थापन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर (पदोन्नति उपरान्त) में अधिशाषी अभियन्ता के रिक्त पद पर किये जाने के आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, पाली।
7. संबंधित अधिकारी को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय